में क्रमांक
व दिनांक

31.08.2021 पत्रावली पेश हुई। वकील प्रार्थी एवं तहसीलदार उदयपुरवाटी उप0। तहसीलदार उदयपुरवाटी से तथ्यात्मक जांच रिर्पोट प्राप्त। बहस प्रा0 प0 मूल पर श्रवण की गई। बहस के दौरान वकील प्रार्थी ने राजस्व रिकार्ड में शुद्धि/दुरूस्ती करवाने का निवेदन किया। बहस श्रवण करने एवं पत्रावली पर मौजूद दस्तावेजात यथा प्रमाण पत्र ग्राम पंचायत पोसाना, परिवार राशन कार्ड, पैन कार्ड, आधार कार्ड, मतदाता परिचय पत्र, राजस्व रिकार्ड जमाबंदी भूमि खसरा नम्बर 59 ग्राम पौसाना सम्वत् 2075–2078, तथ्यात्मक जांच रिर्पोट दिनांक 31.08.2021, शपथ पत्र मनेष का अवलोकन करने पर पाते है कि प्रार्थीगण के पिता/पति का सही नाम जगदीश है तथा सेरतू एवं जगदीश दो अलग अलग व्यक्ति नहीं होकर एक ही एक ही व्यक्ति के नाम है। उक्त विवेचन के अनुसार प्रार्थीगण द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाना उचित व न्यायोचित प्रतित होता है।

आदेश

प्रार्थीगण द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र अ0 धारा 136 एल. आर. एक्ट स्वीकार किया जाता है ग्राम पौसाना पटवार हल्का पौसाना तहसील उदयपुरवाटी की सरहद में स्थित भूमि खसरा संख्या 292, 298 के राजस्व रिकार्ड में दर्ज प्रार्थीगण के पिता/पति का नाम सेरतू पुत्र सुरजा के बजाय जगदीश पुत्र सुरजा दुरूस्त/शुद्ध किये जाने का आदेश दिया जाता है। तदनुसार तहसीलदार उदयपुरवाटी राजस्व रिकार्ड में नाम दुरूस्त करें। उक्त खसरा नम्बरान के शेष इन्द्राज बदस्तुर रहेंगे।

(हस्ताक्षर) 31.8.21
(राम सिंह राजावत)
उपखण्ड अधिकारी,
उदयपुरवाटी
उपखण्ड अधिकारी उदयपुरवाटी (झुन्झुनूँ)

निर्णय आज दिनांक 31.08.2021 को मेरे द्वारा खुले न्यायालय में सुनाया गया।

Signature Not Verified

Digitally signed by Ram Singh Rajawat
Date: 2021.09.14 16:15:50 IST
Reason: SelfAttested

(हस्ताक्षर) 31.8.21
(राम सिंह राजावत)
उपखण्ड अधिकारी
उदयपुरवाटी
उपखण्ड अधिकारी

Scanned with CamScanner